



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2688]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2017/भाद्र 28, 1939

No. 2688]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2017/BHADRA 28, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

का.आ. 3068(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

तालिका में,

- उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, दिल्ली के नीचे, क्रम संख्या 16 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"17.	श्री कृष्णा ऐनालिटिकल सर्विसिज, नई दिल्ली पंजी. सं. 47/एन/एफएसएसएआई/2017 ए-5/4, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज II, नई दिल्ली	रासायनिक जैविक";

2. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, राजस्थान के नीचे, क्रम संख्या 5 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"6.	ओमेगा टेस्ट हाउस, जयपुर पंजी. सं. 46/एन/एफएसएसएआई/2017 जे-889, फेज-III, सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302022	रासायनिक जैविक";

3. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में, महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 21 के बाद संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"22.	एनवाइरोकेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे पंजी. सं. 39/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2017 302, ट्रान्सवे बालेवाड़ी गाँव, एसकेपी कैंपस के सामने, बालेवाड़ी, पुणे - 411045	रासायनिक जैविक"

4. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, केरल के नीचे, क्रम संख्या 8 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्:-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"9.	विमटा लैब्स लिमिटेड, कोचिन पंजी.सं. 47/एस/एफएसएसएआई/2017 कोच्चिन शाखा, 5 सी एवं डी, पांचवा तल, नोएल फोकस, सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड, चेतुकारा, सीसेज (पीओ), कक्कानड, कोचिन, केरल- 682037	रासायनिक जैविक"

5. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में, तेलंगाना के नीचे, क्रम संख्या 6 के बाद, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
"7.	केयर लेब्स, हैदराबाद पंजी.सं. 49/एस/एफएसएसएआई/2017 प्लॉट सं. 1, तीसरा तल, साई सदन कॉम्प्लेक्स, शिवा गंगा कॉलोनी, एलबी नगर, हैदराबाद, तेलंगाना	रासायनिक जैविक"

6. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, सूचीबद्ध प्रविष्टियों में से "झारखण्ड" शब्द को विलोपित माना जाएगा;
7. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, ओडिशा की प्रविष्टि से पहले, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्-

क्रम सं०	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का स्वरूप
(1)	(2)	(3)
झारखण्ड		
"1.	सन टेक, झारखण्ड पंजी.सं. 7/ई/एफएसएसएआई/2017 40-पी, टुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र, टुपुदाना, हटिया, रांची, झारखण्ड - 834003	रासायनिक"।

[फा. सं. 12012/07/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 3648(अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन हुआ था:-

- का.आ. 567(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- का.आ. 1595(अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- का.आ. 1965(अ), दिनांक 20 जून, 2017; और
- का.आ. 2316(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2017

S.O. 3068(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

1. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Delhi*, after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“17.	Shree Krishna Analytical Services, New Delhi Reg. No. 47/N/FSSAI/2017 A-5/4, Mayapuri Industrial Area, Phase II, New Delhi	Chemical Biological”;

2. in 'A' related to NORTHERN REGION, under *Rajasthan*, after serial number 5, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“6.	Omega Test House, Jaipur Reg. No. 46/N/FSSAI/2017 J-889, Phase III, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022	Chemical Biological”;

3. in 'B' related to WESTERN REGION, under *Maharashtra*, after serial number 21, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“22.	Envirocare Labs Pvt. Ltd., Pune Reg. No. 39/W/FSSAI/2017 302, Transbay Balewadi Gaon, Opp SKP Campus, Balewadi, Pune - 411045	Chemical Biological”;

4. in 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Kerala*, after serial number 8, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“9.	Vimta Labs Limited, Cochin Reg. No. 47/S/FSSAI/2017 Cochin Branch, 5 C&D, 5 th Floor, Noel Focus, Seaport-Airport Road, Chettetukara, CSEZ (PO), Kakkanad, Cochin, Kerala - 682037	Chemical Biological”;

5. in 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Telangana*, after serial number 6, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"7.	Care Labs, Hyderabad Reg. No. 49/S/FSSAI/2017 Plot No. 1, 3 rd Floor, Sai Sadan Complex, Shiva Ganga Colony, LB Nagar, Hyderabad, Telangana	Chemical Biological";

6. in 'D' related to EASTERN REGION, from the entries thereunder, the word "***Jharkhand***" shall be omitted;

7. in 'D' related to EASTERN REGION, before the entry of *Odisha*, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
<i>Jharkhand</i>		
"1.	Sun Tech, Jharkhand Reg. No. 7/E/FSSAI/2017 40-P, Tupudana Industrial Area, Tupudana, Hatia, Ranchi, Jharkhand - 834003	Chemical".

[F. No. 12012/07/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648(E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended *vide*:-

- (i) S.O. 567(E), dated the 20th February, 2017;
- (ii) S.O. 1595(E), dated the 15th May, 2017;
- (iii) S.O. 1965(E), dated the 20th June, 2017; and
- (iv) S.O. 2316(E), dated the 24th July, 2017.